

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016—माघ 27, शक 1937

#### नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016

अधि. क्र. 3-एफ-1-4-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 में दिनांक 9 मई 2014 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन की सीमा में सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :—

#### अनुसूची-एक

नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :—

अ.क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गौहरगंज	सतलापुर	01 से 305 तक	963.15	सम्पूर्ण
2	— " —	पिपलिया लोरका	01 से 321 तक	1772.95	— " —
3	— " —	टीलाखेड़ी	01 से 105 तक	468.18	— " —
4	— " —	खनपुरा	01 से 156 तक	591.81	— " —
5	— " —	मोड़जपुरा	01 से 61 तक	195.91	— " —
6	— " —	झलारकलां	01 से 31 तक	189.19	— " —
7	— " —	नयापुरा	01 से 119 तक	421.41	— " —
8	— " —	पिपलिया गञ्जू	01 से 189 तक	805.46	— " —
9	— " —	इटायाकलां	01 से 279 तक	931.91	— " —
10	— " —	हमीरी	01 से 97 तक	474.56	— " —
11	— " —	खेजड़ी	01 से 53 तक	225.19	— " —
12	— " —	खामखेड़ा	01 से 165 तक	493.79	— " —
13	— " —	मूड़ला	01 से 98 तक	418.87	— " —
14	— " —	सरकियां	01 से 338 तक	1596.51	— " —
15	— " —	सिमराई	01 से 209 तक	937.12	— " —

## अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची-एक में विहित किया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् नगरपालिका क्षेत्र मण्डीदीप की पुनरीक्षित चतुःसीमा निम्नानुसार होगी :—

**उत्तर दिशा—** कलियासोत नदी की सीमा.

**पूर्व दिशा—** कीरत नगर ग्राम की सीमा.

**दक्षिण दिशा—** नानाखेड़ी ग्राम की सीमा.

**पश्चिम दिशा—** पड़ोनिया ग्राम की सीमा.

Not. No. 3-F 1-4-2015-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as specified in Schedule-I below within the limit of Municipal area of Mandideep, District Raisen, same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 2, dated the 9<sup>th</sup> May, 2014 as required by sub-section (1) of Section 5-A of the said Act, namely :—

## SCHEDULE-I

The area of the villages included within the Municipal limit of Mandideep shall be as follows:—

S.No.	Tehsil	Name of Village	Survey No. to be included	Areae (In Acres)	Description of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Goharganj	Satlapur	01 upto 305	963.15	Whole
2	—	Pipaliya Lorka	01 upto 321	1772.95	—
3	—	Teelakhedi	01 upto 105	468.18	—
4	—	Khanpura	01 upto 156	591.81	—
5	—	Moiypura	01 upto 61	195.91	—
6	—	Jhalar Kalan	01 upto 31	189.19	—
7	—	Nayapura	01 upto 119	421.41	—
8	—	Pipaliya Gajju	01 upto 189	805.46	—
9	—	Etayakalan	01 upto 279	931.91	—
10	—	Hamiri	01 upto 97	474.56	—
11	—	Khejdi	01 upto 53	225.19	—
12	—	Khamkheda	01 upto 165	493.79	—
13	—	Mudala	01 upto 98	418.87	—
14	—	Srakiya	01 upto 338	1596.51	—
15	—	Simrai	01 upto 209	937.12	—

## SCHEDULE-II

The revised boundary of the Municipal area Mandideep after inclusion of the area prescribed in Schedule-I above are as follows :—

**North** — Kaliyasoat River

**East** — Village Kirat Nagar

**South** — Village Nanakhedi

**West** — Village Padoniya

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.